

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ज्ञानगढ़ व भू अभिलेख निरीक्षक ज्ञानगढ़ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम शकुनापपुरा पटवार हल्का ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2074-79 में खाता संख्या 16, 17 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	<u>शकुनापपुरा</u>	<u>16,</u> <u>17</u>	<u>मांगीपाल पुत्र छोगा गुजर</u>	<u>मार्ग पिंग छोगा गुजर</u>

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
सहायक उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

क्रमांक:- न्यायालय / 2023/55

दिनांक:- 22/06/2023

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर फालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री मार्ग पिंग छोगा गुजर

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
सहायक उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा